फाईल संख्याः S-11045/40/2012/केसस्वायो/एच.ई.सी./केसस्वायो/ (पी)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनाँकः 15 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नामिकागत निजी अस्पतालों/रोगों निदान प्रयोगशालाओं/इमेजिंग केन्द्रों में टैस्ट कराने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय पर दिनाँक 1 जनवरी, 2013 के का.ज्ञा. के संदर्भ में केसस्वायो के अंतर्गत नामिकागत निजी अस्पतालों/नैदानिक प्रयोगशालाओं/इमेंजिंग केन्द्रों में, केसस्वायो के चिकित्सकों/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा जारी वैध चिकित्सा पर्ची के आधार पर संबंधित विभाग संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथास्थिति, बिना किसी रैफरल/अपेक्षित अनुमति पत्र के टैस्ट/जाँच की आगामी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है।

(2) केसस्वायो के अंतर्गत नामिकागत निजी अस्पताल/नैदानिक प्रयोगशालाएँ/इमेजिंग केन्द्र, केसस्वायो के पेंशनभोगी लाभार्थी/भूतपूर्व संसद सदस्य/स्वतंत्रता सेनानी व अन्य श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को, जिन्हें केसस्वायो की स्वीकृत दरों पर जाँच/टैस्ट की क्रैडिट सुविधा प्राप्त है, अब केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा जारी या निर्धारित जाँच/नैदानिक टैस्ट के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करेंगे।

(3) सेवारत कर्मचारियों को केसस्वायो के अंतर्गत नामिकागत निजी अस्पतालों/नैदानिक प्रयोगशालाओं/इमेंजिंग केन्द्रो में नैदानिक टैस्ट/जाँच करवाने के लिए, विभाग से अनुमति पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नही है। यह आदेश उन्हीं टैस्टों के लिए लागू होगा जिनके लिए केसस्वायो की दरें उपलब्धहैं। सेवारत कर्मचारी भुगतान करने पर निर्धारित जाँच/टैस्ट कराएँगे व अपने कार्यालय से दावे की प्रतिपूर्ति करेंगे।

(4) केसस्वायो के नामिकागत निजी अस्पताल/नैदानिक प्रयोगशाला/इमेजिंग केन्द्र, कैशलैस सुविधा प्रदान करने के लिए नुस्खा/जाँच पर्ची की स्व सत्यापित फोटो प्रति या मूल प्रति और मुख्य कार्ड धारक व रोगी के कार्ड की सत्यापित प्रति, केसस्वायो कार्यालय या अपने विभाग में, यथास्थिति,

दावे की प्रतिपूर्ति के समय संलग्न करेंगें। तथापि अस्पताल/नैदानिक प्रयोग शाला/इमेजिंग केन्द्र पात्र केसस्वायो लाभार्थियों को क्रैडिट सुविधा प्रदान करते समय केसस्वायो कार्ड/चिकित्सा पर्ची की मूल प्रति से स्व-सत्यापित कार्ड/चिकित्सा पर्ची को सत्यापित करेंगे।

(5) केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा नैदानिक टैस्ट/जाँच के लिए निर्धारित या जारी की गई चिकित्सा पर्ची विशेषज्ञ द्वारा जारी तिथि के दो सप्ताह की अवधि और केवल एक ही समय के प्रयोग के लिए वैध रहेगी तथापि ऐसी जाँच/चिकित्सा पर्चियाँ निर्धारित दो सप्ताह की अवधि के पश्चात् वैध रहेंगी, जिन पर केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञ ने नेमी जाँच/रूटीन टैस्ट या अनुवर्ती चिकित्सा (फालो-अप-ट्रीटमैन्ट) के लिए तिथि या अवधि विनिर्दिष्ट की है। दो सप्ताह की निर्धारित तिथि समाप्त होने पर पुनः केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञ से, यथास्थिति, चिकित्सा पर्ची/जाँच पर्ची का पुनः वैधी करण या नई पर्ची जारी करनी अपेक्षित है।

(6) मंत्रालय के दिनाँक 10-06-2008 के का.ज्ञा. सं. Rec 1-2008/शिका./केसस्वायो/दिल्ली/केसस्वायो(पी) के अंतर्गत क्रैडिट सुविधा के लिए पात्र सेवारत केसस्वायो के लाभार्थियों को, केसस्वायो के नामिकागत निजी अस्पतालों/नैदानिक प्रयोगशालाओं/इमेजिंग केन्द्रों में टैस्ट/जाँच के लिए कैशलेस सुविधा होगी। इस सुविधा के लिए सेवारत कर्माचरियों को मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी पहचान-पत्र की स्व सत्यापित प्रति के साथ मुख्य कार्ड धारक व रोगी के कार्ड की स्वा सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करनी होगी।

निजी अस्पताल/नैदानिक प्रयोगशालाएं/इमैजिंग केन्द्र उपरोक्त दस्तावेजों को संबंधित विभाग को दावों की प्रतिपूर्ति/भुगतान के समय संलग्न करेंगे।

(वी.पी.सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
टैलीफेक्स 011-23061831

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

(2) निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली। दिल्ली से बाहर स्थित केसस्वायो के शहरों के लिए।

(3) अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय)/सभी अपर निदेशक संयुक्त निदेशक।

(4) केसस्वायो के अधीन सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी।